

03.10.17

आज दिनांक को अधिवक्ता श्री के०पी०राठौर ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश कर प्रकरण को आज सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण को आज सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपी वासुदेव, राकेश, गोपीराम, बृजेश सहित अधिवक्ता श्री के०पी०राठौर उप०।

इसी प्रक्रम पर फरियादी सत्यवती उपस्थित। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला द्वारा की गयी।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण पर भा०द०स० की धारा 504, 325 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। भादस की धारा 504, एवं 325 न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी सत्यवती ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी राकेश, वासुदेव, गोपीराम, बृजेश को भादस की धारा 504 एवं 325 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण में पूर्व में नियत पेशी दिनांक 30.10.17 निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद